रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265138
CG-DL-E-31072025-265138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947
No. 12] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

फा. सं. एम/471/2025-एएसडी.—जहां एक ओर आधार संख्या का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए व्यक्तियों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं सुविधाजनक और सहज ढंग से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे पहचान स्थापित करने के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त होती है, प्रक्रियाएं सरल होती हैं तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिलता है:

जहां एक ओर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के उपरांत, अपने दिनांक 15, मई 2025 के पत्र संख्या ई एफ संख्या: 13(2)/2020-ईजी-II(वॉल्यूम-8), के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जिसे आगे "उक्त मंत्रालय","उक्त विभाग" अथवा "उक्त एजेंसी" के रूप में संदर्भित किया गया है), भारत सरकार(जिसे आगे "उक्त सरकार" कहा गया है) को सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे आगे "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित प्रयोजनों के लिए उक्त सरकार/मंत्रालय/विभाग/एजेंसी को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और ऐसे आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है , जिसके आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के प्रयोजन को आधार अधिनियम की धारा 4(4)(बी)(i)या 4(4)(बी)(ii) या 7 के अधीन अनुमति दी गई है।

जहां एक ओर, आधार प्रमाणीकरण, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित अनुसार उन लाभार्थियों/उपयोगकर्ताओं की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा जो केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं/पहल (जिसे आगे "उक्त उद्देश्य" कहा गया है), के अंतर्गत लाभ / सेवाएं प्राप्त करते हैं और आधार प्रमाणीकरण का प्रदर्शन स्वैच्छिक रूप से किया जाएगा; तथा उक्त मंत्रालय/विभाग/एजेंसी केवल केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं/पहल के अंतर्गत लाभार्थियों/उपयोगकर्ताओं की पहचान स्थापित करने हेतु Beneficiary Satyapan Application (BSA) के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण करेगा (जिसे आगे "उपयोग प्रकरण (use case)" कहा गया है);

इसलिए, अब आधार अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4), खंड (b), उपखंड (i) या (ii), अथवा धारा 7 तथा उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की जाती है:

1. लाभार्थी/उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने हेतु आधार संख्या धारक का प्रमाणीकरण संबंधित मंत्रालय/विभाग/एजेंसी द्वारा केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए आधार अधिनियम की धारा 4(4)(b)(i), 4(4)(b)(ii) या धारा 7 के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्राप्त है।

2. संबंधित मंत्रालय/विभाग/एजेंसी, जैसा कि अधिनियम में प्रावधानित है, प्रमाणीकरण हेतु आधार संख्या धारक की स्पष्ट सहमति प्राप्त करेगा।

3. नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक होगा तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग/एजेंसी आधार संख्या धारक को वैकल्पिक और व्यवहारिक पहचान विधियों की जानकारी देगा और आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या प्रमाणीकरण कराने में असमर्थ होने की स्थिति में किसी सेवा से इनकार नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(National Informatics Centre)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2025

F. No. M/471/2025-ASD —Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its letter no. eF.No: 13(2)/2020-EG-II(Vol-8), dated 15thMay, 2025 to the National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology (hereinafter referred to as the said Ministry or the said department or the said Agency), Government of INDIA (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Government/Ministry/Department/Agency may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder whose purpose for use of Aadhaar authentication has been allowed under section 4(4)(b)(i) or 4(4)(b)(ii) or 7 of Aadhaar Act.

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for authentication of beneficiaries/users of delivery (benefits/services) under schemes/initiatives of Central and State Governments (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry/Department/Agency shall perform the Aadhaar authentication only for identification of beneficiaries/users of delivery (benefits/services) under schemes/initiatives of Central and State Governments through Beneficiary Satyapan Application (BSA) [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (i) or (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 or section 7 of the Act, NIC hereby notifies the following, namely: —

1. Authentication of beneficiaries for establishing the identity of Aadhaar number holder may be carried out by the concerned Ministry/Department/Agency only for the purposes wherein use of Aadhaar authentication has been allowed under section 4(4)(b)(i) or 4(4)(b)(ii) or 7 of Aadhaar Act.

2. The concerned Ministry/Department/Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

3. As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis and the concerned Ministry/Department/Agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

RAJENDRA PRASAD, Senior Technical Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.31 16:16:33 +05'30'